(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी भंवर लाल जनागल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 01 / 2026

पंजीकरण सं. :– 2026 / 6

बउनवान

राज0 सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ(राज.)

(प्रार्थी)

बनाम

श्री धनराज मेहता पुत्र श्री जीवनलाल मेहता जाति मेहता निवासी मामोनी मंदिरपुरा, शाहबाद जिला बारॉ (राज.) (विक्रेता) मैसर्स मां निहाल देवी ढाबा एंड रेस्टोरेन्ट, एन एच–27, मामोनी, शाहबाद जिला बारां (राज.)

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) / 51 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स, 2011

उपस्थिति :– 1–अनुपस्थित खा.सु.अ. (प्रार्थी)

2–श्री कमलेश दुबे अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 30.03.2026

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री मोजीलाल कुंभकार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि मेरे द्वारा दि. 25.08.2025 को मैसर्स मां निहाल देवी ढाबा एंड रेस्टोरेन्ट, एन एच–27, मामोनी, शाहबाद जिला बारॉ (राज.) पर पहुंचा। वहॉ पर श्री धनराज मेहता पुत्र श्री जीवनलाल मेहता जाति मेहता (विक्रेता) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.08.2025 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 05.07.2024 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ / खासुऔनि / संस्था / 2025 / 101 दि. 15.01.2025 से कार्यक्षेत्र जिला कोटा आवंटित किया गया। साथ हीं आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर द्वारा पत्रांक / खासुऔनि / आयुक्त / ईएसटीबी / 2025 / 670 दिनांक 12.03.2025 से जिला बारां का अतिरिक्त चार्ज के आदेश दिये गये।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **पनीर लूज** फ्रिज में एक बाउल में आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **पनीर लूज** में मिलावट का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारॉ द्वारा खाद्य पदार्थ **पनीर लूज** 01 किलोग्राम वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत श्री धनराज मेहता पुत्र श्री जीवनलाल मेहता जाति मेहता (विक्रेता) को 260 / – रूपये (अक्षरे दो सौ साठ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **पनीर लूज** को स्टील बर्तन में लेकर चार साफ–सूखी एवं खाली प्लास्टिक के डिब्बों में बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक बोतलों में 250 ग्राम पनीर लेकर प्रत्येक में 20–20 बूंद फार्मेलीन डालकर ढक्कन लगाकर एयरटाईट बंद किया तथा प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–2200 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–2200 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री धनराज मेहता पुत्र श्री जीवनलाल मेहता जाति मेहता (विक्रेता) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विशलेषक कोटा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नं0 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्सलेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2025/119 दिनांक 10.09.2025 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या LS/800/PHLK/Act/2025/800 दिनांक 03.09.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **पनीर लूज** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 की धारा 3(1)(zz)(xi) के तहत **असुरक्षित (अनसेफ)** होना पाया गया। अप्रार्थी द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जांच निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला सीएसआईआर–सीएफटीआरआई, मैसूर से करवायी गई जिनकी जॉच रिपोर्ट संख्या FT/AQCL/FSSA (1611F)/2025 दिनांक 10.11.2025 के अनुसार धारा 3(1)(zx)के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया।

इस पर प्रकरण दिनांक 10.02.2026 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर प्रकरण में एकपक्षीय अंतिम बहस सुनी गई।

राज. सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित किया है कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **पनीर लूज** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला सीएसआईआर –सीएफटीआरआई, मैसूर से करवायी गई जिनकी जॉच रिपोर्ट संख्या FT/AQCL/FSSA(1611F)/2025 दिनांक 10.11.2025 के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि नमूना लेने की प्रक्रिया में नियमों का पूर्ण पालन नहीं किया गया है, नमूना लेते समय बर्तनों की स्वच्छता और स्टरलाईजेशन संदिग्ध थी जिससे रिपोर्ट प्रभावित हो सकती है। पनीर एक जल्दी खराब होने वाली वस्तु है। नमूना लेने व जांच के बीच के समय में उचित तापमान न होने के कारण प्राकृतिक रूप से उसके मानकों में बदलाव आ सकता है। अप्रार्थी एक छोटा दुकानदार है और पनीर स्वयं नहीं बनाता है, वरन् डेयरी प्रतिष्ठानों से खरीदता है। अप्रार्थी ने उसे उचित अवस्था में रखा था। नमूनों में ऐसी कोई वस्तु नहीं मिली जो स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है, केवल मानक की कमी बतायी गई है जो कि काफी कम अंतर की है। अतः निवेदन है कि परिवाद निरस्त फरमाने की कृपा करें।

प्रकरण में अप्रार्थी के अभिभाषक की एकपक्षीय अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **पनीर लूज** निर्दिष्ट खाद्य प्रयोगशाला सीएसआईआर–सीएफटीआरआई, मैसूर की जॉच रिपोर्ट संख्या FT/AQCL/FSSA(1611F)/2025 दिनांक 10.11.2025 से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक (Sub Standard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 के तहत को कुल जुर्माना राशि 40,000/– रूपये (अक्षरे चालीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **30.03.2026** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल जनागल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)